

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 517/2023

अनवान : -

1. लीलाधर पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. माना देवी उर्फ मानी पत्नी ईशरराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. नोरा पुत्री ईशरराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. मोटा राम उर्फ मोतीराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. भगवानाराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. लादुराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री लादुराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 20.06.2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 459/450 की कुल 11.091 है0 भूमि व खाता संख्या 437/428 की कुल 5.058 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 के नाम से मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू रीति-रिवाज से शासित हैं। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी की दादी है व प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र पौत्र भाई व पुत्रियों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग मुताबिक पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 459/450 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 11.091 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का बिज है

(श्री 11.06.2023) 2023
(121012) (121012) के समक्ष

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)



एवं शेष 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है एवं खाता संख्या 437/428 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 5.058 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी प्रतिवादी संख्या 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं शेष 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 459/450 की कुल 11.091 है0 भूमि व खाता संख्या 437/428 की कुल 5.058 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 के नाम से मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 459/450 की कुल 11.091 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 437/428 की कुल 5.058 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/6/23.....को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट- चक सरदारपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 517/2023

अनवान : -

1. लीलाधर पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. माना देवी उर्फ मानी पत्नी ईशरराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. नोरा पुत्री ईशरराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. मोटा राम उर्फ मोतीराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. भगवानाराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. लादुराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री लादुराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 517 सन 2023 निर्णय दिनांक 20.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 459/450 की कुल 11.091 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 437/428 की कुल 5.058 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जो है एवं शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 20/06/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-चक सरदारपुरा